झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
संकल्प

विषयः— **खरीफ विपणन मौसम 2022—23 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रूपये के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य के किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराये जाने एवं धान अधिप्राप्ति योजना में आत्म निर्भर बनाने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2011—12 से धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गयी है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2022—23 में धान अधिप्राप्ति योजना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

2. खरीफ विपणन मौसम 2022—23 में राज्य के लिये धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 3.63 (तीन लाख तिरसठ हजार) लाख मे०टन निर्धारित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति का कार्य हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। किसानों से धान अधिप्राप्ति करने हेतु धान अधिप्राप्ति केन्द्र के रूप में चयनित पैक्स (Primary Agriculture Credit Co-operative Society)/लैम्प्स (Large Area Multi Purpose Co-operative Societies)/कृषक सेवा सहकारी समिति/व्यापार मंडल/ग्रेन गोला/Farmers Producer Organisation (FPO)/बाजार समिति कार्य करेंगे।

3. धान अधिप्राप्ति योजना हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक—3683, दिनांक 02.12.2022 निर्गत है जिसकी कंडिका—3 में निम्न प्रावधान अंकित है :—

खरीफ विपणन मौसम 2022—23 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं इसके अतिरिक्त प्रति क्वींटल बोनस निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:—

	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्वींटल	न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जानेवाली बोनस की राशि प्रति क्वींटल	कुल
धान	साधारण	2,040/—	10/—	**2,050/—**
	ग्रेड "ए"	2,060/—	10/—	**2,070/—**

(i) <u>**न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान—**</u> किसानों से क्रय किये गये धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पास उपलब्ध रिवाल्विंग फण्ड से किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% राशि का भुगतान किसानों को धान अधिप्राप्ति के समय किया जायेगा। किसानों को **बोनस का भुगतान** हेतु राशि का व्यय "धान अधिप्राप्ति योजना शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा।"

(ii) **किसानों के भुगतान हेतु राशि की व्यवस्थाः**–खरीफ वर्ष 2021–22 की भांति ही बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ही निर्धारित ब्याज दर (रेपो रेट के अनुसार परिवर्तनशील) पर खरीफ विपणन मौसम 2022–23 के लिए ऋण देने की सहमति दी गई है। इस संबंध में दिनांक 11.10.2022 को धान अधिप्राप्ति योजना हेतु गठित राज्य स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में खरीफ वर्ष 2021–22 की भांति ही निर्धारित ब्याज दर (रेपो रेट के अनुसार परिवर्तनशील) पर खरीफ विपणन मौसम 2022–23 के लिए झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण लिया जाना है।

(iii) किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान हेतु आवश्यकतानुसार राशि की गणना कर तत्संबंधी ऋण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया से लिया जायेगा। बैंक को उपलब्ध कराये जाने वाले गारन्टी डीड पर हस्ताक्षर हेतु प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को प्राधिकृत किया गया है।

(iv) पहले धान बिक्री करने वाले किसानों को पहले भुगतान किया जायेगा। भुगतान की प्रक्रिया में पूरे जिला को इकाई मानते हुए धान बिक्री की तिथि के अनुक्रम का अनुपालन किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी जिला में पैक्स A में दो किसान द्वारा उस माह की दसवीं एवं 11वीं तिथि को धान बेचा गया है एवं पैक्स B में दो किसान द्वारा 11वीं एवं 12वीं तिथि को धान बेचा गया है तो सबसे पहले दोनों पैक्सों में 10वीं तिथि को धान बेचे गये किसानों का भुगतान किया जायेगा उसके उपरांत 11वीं तिथि को धान बेचने वाले किसान का भुगतान किया जायेगा। जिलों द्वारा इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भुगतान में विलंब नहीं हो इसके लिए केन्द्रों से ससमय प्रतिवेदन प्राप्त करने तथा केन्द्र से धान उठाव करने हेतु जिला प्रबंधक की जिम्मेवारी होगी।

4. उक्त संदर्भ में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–68, दिनांक 05.01.2023 एवं पत्रांक–264, दिनांक 20.01.2023 द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया से निर्धारित ब्याज दर (रेपो रेट के अनुसार परिवर्तनशील) पर 776.00 करोड़ रूपये ऋण लेने हेतु बैंक गारण्टी की अपेक्षा की गई है।

5. उक्त के आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2022–23 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया से निर्धारित ब्याज दर (रेपो रेट के अनुसार परिवर्तनशील) पर 776 करोड़ रूपये के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निम्न शर्त्तों के अधीन सहमति प्रदान की गई है:–

(i) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा बैंक से ऋण Cash Credit के रूप में प्राप्त किया जायेगा जिससे कि आवश्यकतानुसार राशि की निकासी हो सके, इससे यह लाभ होगा कि जितनी राशि की निकासी वह बैंक से करेगा उतनी ही राशि का ब्याज उसे भुगतान करना पड़ेगा।

Cash Credit की एक सुविधा यह भी होती है कि जैसे ही निगम को राशि प्राप्त होगी, निगम उस राशि को तुरंत बैंक को वापस कर देगा। इससे निगम को ब्याज में राहत प्राप्त होगा।

(ii) निगम द्वारा इस ऋण से बैंक से पूर्व में लिये गये ऋण का मूलधन एवं ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं ऋण राशि का उपयोग धान अधिप्राप्ति में ही किया जायेगा।

6. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक–1102, दिनांक 28.03.2023 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.04.2023 की बैठक के मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

24/04/2023

(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 02/अधि०/ऋण/14/2020/खा०आ० 1358 /रांची, दिनांक 25/04/23

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/04/2023

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 02/अधि०/ऋण/14/2020/खा०आ० 1358 /रांची, दिनांक 25/04/23

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इसे झारखण्ड राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

24/04/2023

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 02/अधि०/ऋण/14/2020/खा०आ० 1358 /रांची, दिनांक 25/04/23

प्रतिलिपि–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड/सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/04/2023

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 02 / अधि० / ऋण / 14 / 2020 / खा०आ० .... / रांची, दिनांक

प्रतिलिपि–सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड / निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/04/2023

सरकार के सचिव।

4